[2018] 14 एस. सी. आर. 1005

एस. पी. सिंगला निर्माण पी. वी. टी. लिमिटेड।

बनाम

हिमाचल प्रदेश एवं एक अन्य

(सिविल अपील सं 11824–25 वर्ष 2018)

04 दिसंबर, 2018

[आर. भानुमति और इंदिरा बनर्जी, जे. जे.]

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996:

अपीलकर्ता की ओर से– विद्वान अधिवक्तागण– मनिन्दर सिंह वरिष्ठ अधिवक्ता, अनिरूद्ध वाधव, अतुल शंकर विनोद, प्रभाष बजाज, मिस कनिका शरण, भार्गव टी., एम.पी. विनोद

प्रतिवादी की ओर से– विद्वान अधिवक्तागण– अभिनव मुखर्जी, श्रीमती बिहु शर्मा, मिस पुर्णिमा कृष्णा, मिस प्रतिष्ठा विज

यह निर्णय आर. भानुमति, जे. जे. के द्वारा पारित किया गया है।

1. अनुमत्ति दी गई।

2. ये अपीलें हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के द्वारा मध्यस्थता वाद संख्या 4049 वर्ष 2013 के निर्णय दिनांक 10.03.2014 एवं पुनर्विलोकन आवेदन संख्या आर. पी. एस. टी./20087/2014 से उत्पन्न हुई है, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी का मध्यस्थता आवेदन एवं पुनर्विलोकन आवेदन को खारिज करते हुए मध्यस्थ के नियुक्ति से मना कर दिया एवं अभिनिर्णित किया कि समझौते की शर्तों के अनुसार मध्यस्थ की नियुक्ति पहले की जा चुकी है।।

3. संक्षिप्त तथ्य जिसके कारण ये अपीलें दायर की गईं है वह इस प्रकार हैं –

अपीलकर्ता को 214.00 मीटर स्पैन सी.सी. बियरिंग का शेष कार्य, जो मंडी रेवालसर चंदेश–रखोटा मसेरा सरकाघाट तिहरा सैंडहोल आलमपुर जवालामुखी रोड पर हरसीपट्टन में ब्यास नदी पर बने पुल से संबंधित था, जिसका निर्माण कार्य का अनुबंध 19.12.2006 को दिया गया। जिसकी कुल लागत 14,29,81,500 / – थी। पक्षों के बीच समझौता हुआ और अनुबंध की सामान्य शर्तों के खंड (65) में मध्यस्थता खंड शामिल है। कार्य पूरा करने की अनुमति अवधि 04.01.2009 पर या उससे पहले की थी। हालाँकि, अपीलाकर्ता को 30.06.2010 तक की अवधि विस्तार दिया गया था। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 04.06.2011 को कार्य पूरा किया गया और कार्य के निष्पादन के लिए भुगतान किया गया। अपीलाकर्ता ने विवाद उठाया और अपने पत्र दिनांक 18.10.2013 के माध्यम से मध्यस्थ की नियुक्ति का अनुरोध किया। अपीलार्थी के अनुरोध के अनुसार, मुख्य अभियंता, एच. पी. पी. डब्ल्यू. डी. ने "अधीक्षक अभियंता, मध्यस्थता मंडल, एच. पी. पी. डब्ल्यू. डी., सोलन" को दिनांक 30.10.2013 को मध्यस्थ के रुप में नियुक्त किया गया था और उक्त नियुक्ति समझौते के खंड (65) के संदर्भ में की गई थी। मध्यस्थ ने 11.11.2013 को मध्यस्थता कार्यवायी शुरु किया। मध्यस्थ की नियुक्ति के अनुरोध करने के बाद अपीलकर्ता या तो कार्यवाही से अनुपस्थित रहा या यह कहते हुए स्थगन की मांग की कि वह मध्यस्थ की नियुक्ति को मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 के प्रावधानों के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के समक्ष चुनौती देना चाहता है। सुनवाई के बाद भी अपीलाकर्ता द्वारा दावें का कोई भी बयान दायर नही किया गया। तत्पश्चात दिनांक 06.08.2014 को मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 25 (ए) के तहत मध्यस्थता कार्यवाही को समाप्त कर दी गयी।

4. मध्यस्थ के रूप में "अधीक्षक अभियंता, मध्यस्थता मंडल, सोलन, एच. पी. पी. डब्ल्यू. डी". की नियुक्ति से व्यथित होकर, अपीलाकर्ता ने 1996 के अधिनियम की धारा 11 (6) के तहत उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की और स्वतंत्र मध्यस्थ की नियुक्ति की प्रार्थना की। उच्च न्यायालय ने ***एंट्रिक्स निगम लिमिटेड बनाम देवास मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड*** (2014) 11 एस. सी. सी. 560 के इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा जताया जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि यदि कोई पक्ष अन्य पक्ष /पक्षों से अनुबंध के शर्तों के अनुसार मध्यस्थ की नियुक्ति से असंतुष्ट या व्यथित है तो उसका उपचार 1996 अधिनियम की धारा 13 के तहत याचिका के माध्यम से होगी और उसके बाद 1996 अधिनियम की धारा 34 के तहत पंचाट को चुनौती देते समय होगा। उच्च न्यायालय ने माना कि मध्यस्थ के रूप में "अधीक्षक अभियंता" की नियुक्ति समझौते के खंड (65) के अनुसार है एवं अधिनियम की धारा 11 (6) लागू नहीं की जा सकती है। मध्यस्थ की नियुक्ति

को 1996 के अधिनियम की धारा 11 (6) के तहत आवेदन के माध्यम से चुनौती नहीं दी जा सकती। मध्यस्थता याचिका खारिज किए जाने से व्यथित होकर अपीलकर्ता हमारे सामने है।

5. अपीलार्थी की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मनिंदर सिंह ने कहा कि 1996 के अधिनियम लागू होने के बाद कार्यालय द्वारा नियुक्ति करने की अनुमति नहीं है और कोई भी नियुक्ति 1996 अधिनियम की धारा 11 के संदर्भ में की जा सकती है। आगे यह कहा गया था कि कार्यालय द्वारा नियुक्त मध्यस्थ ने संदर्भ में प्रवेश किया था, आपीलकर्ता तो 2013 की मध्यस्थता संख्या 4049 दायर करने के लिए मजबूर किया गया था और उच्च न्यायालय ने गलती से स्वतंत्र मध्यस्थ नाम के साथ की नियुक्ति के लिए अपीलकर्ता की ओर से की गयी प्रार्थना को खारिज कर दिया गया। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता आगे कहते है कि कार्यालय के द्वारा नियुक्त मध्यस्थ एच. पी. पी. डब्ल्यू. डी. की सेवा में एक कर्मचारी है जिसे धारा 12 (5) के प्रावधान रोकती है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने ***रत्ना इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम मेजा ऊर्जा निगम प्राइवेट लिमिटेड*** (2017) एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 7808 के निर्णय पर भरोसा जताया। ।

6. उपरोक्त तर्क का खंडन करते हुए, प्रतिवादी राज्य की ओर से, विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि अधीक्षक अभियंता, मध्यस्थता मंडल समझौते के खंड (65) के अनुसार और कानून के प्रावधानों के अनुसार है। इस तर्क के जवाब में कि धारा 12 (5) संशोधन अधिनियम, 2015 पद द्वारा मध्यस्थ की नियुक्ति पर रोक लगता है। राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने ***भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड बनाम कोच्चि क्रिकेट प्राइवेट लिमिटेड और अन्य*** (2018) 6 एस. सी. सी. 287 के निर्णय पर भरोसा जताया और कहा कि संशोधन अधिनियम 2015 संशोधन अधिनियम के प्रारम्भ होने कि तिथि पर या उसके बाद शुरु होने वाली कार्यवायी के संबंध में लागू होगें। मध्यस्थ कार्यवायी, जो संशोधन अधिनियम 2015 से पहले शुरु की गयी है उस मध्यस्थ कार्यवायी पर लागू नही होगा जबतक कि दोनों पक्ष अन्यथा सहमत न हो। विद्वान अधिवक्ता यह कहते हैं कि अनुबंध की सामान्य शर्तों के खंड (65) में निहित प्रावधान दोनो पक्षों बीच इस प्रकार के समझौते के बराबर नहीं होगा कि संशोधन अधिनियम, 2015 के प्रावधानों को लागू किया जा सके।

7. हमने दोनों पक्ष की दलीलों पर ध्यानपूर्वक विचार किया है और विचाराधीन निर्णय और अभिलेख पर मौजूद सामग्री का अवलोकन किया। इस अपील में विचार करने के लिए मुख्य बिन्दु यह है कि अनुबंध की सामान्य शर्तों के खंड (65) में दोनों पक्ष के बीच समझौते के संदर्भ में अपीलकर्ता /ठेकेदार विवाद के समाधान के लिए मध्यस्थ के रूप में नियुक्त अधीक्षक अभियंता, मध्यस्थता मंडल की नियुक्ति को चुनौती दे सकता है या नही।

8. एच. पी. पी. डब्ल्यू. डी. के आदेश दिनांक 30.10.2013 द्वारा अधीक्षक अभियंता, मध्यस्थता मंडल, एच. पी. पी. डब्ल्यू. डी., सोलन को अपीलकर्ता/ठेकेदार द्वारा किए गए दावे/विवाद के संबंध में निर्णय लेने और निर्णय देने के लिए एकमात्र मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया गया था। एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए चुनौती का मुख्य रुझान इस आधार पर था कि मध्यस्थ को नाम से नही बल्कि पदनाम से नियुक्त किया गया था। यह कहा गया था कि 1996 के अधिनियम की धारा 11 (1) के अनुसार "*किसी भी राष्ट्रीयता का व्यक्ति एक मध्यस्थ हो सकता है, जब तक कि पक्षकारों द्वारा अन्यथा सहमत न हो*" आगे यह कहा गया है कि कार्यालय द्वारा नियुक्त मध्यस्थ अनुबंध के खंड (65) के अन्तर्गत नियुक्त मध्यस्थ नही है और इस पहलू पर उच्च न्यायालय द्वारा उचित रूप से विचार नहीं किया गया है।

9. दलीलों के उचित मूल्यांकन के लिए, हम आमतौर पर अनुबंध की सामान्य शर्तों के खंड (65) का उल्लेख कर सकते हैं जो निम्नानुसार हैः

> " **अनुबंध की सामान्य शर्तों का खंड 65** – अनुबंध में अन्यथा प्रदान किये गये को छोड़कर, विनिर्देशों के अर्थ, डिजाइन चित्र और निर्देशों से संबंधित सभी प्रश्न और विवाद और सामग्री की कारीगरी की गुणवत्ता के संबंध में कार्य पर या किसी अन्य प्रश्न, दावे सही मामले या चीज़ के रुप में किसी भी तरह से ठेकेदार के डिजाईन, चित्र विनिर्देश और अनुमान, निर्देश, आदेश या इन शर्तों से उत्पन्न होने वाले या अन्यथा निष्पादन या विफलता के कार्यों से संबंधित इसे निष्पादित करने के लिए चाहे कार्य की प्रगति के दौरान या उसके पूरा होने या छोड़ने के बाद उत्पन्न हों, इसे मुख्य अभियंता हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग द्वारा नियुक्त व्यक्ति की एकमात्र मध्यस्थता के लिए भेजा जायेगा। ऐसी किसी भी नियुक्ति पर कोई आपत्ति नही है कि नियुक्त किया गया मध्यस्थ एक सरकारी कर्मचारी है और उसे उन मामलों से निपटना है, जिनसे अनुबंध संबंधित है, और सरकारी कर्मचारी के रूप में अपने कर्तव्यों के दौरान उसने सभी या किसी भी विवादग्रस्त या भिन्न मामलों पर विचार व्यक्त किये थे। जिस मध्यस्थ को मामला मूल रूप भेजा गया है उसका स्थानांतरण हो रहा है या उसका पद खाली हो रहा है या वह किसी भी कारण से कार्य करने में असमर्थ है। ऐसे में मुख्य अभियंता, एच. पी. पी. डब्ल्यू. डी. को ऐसे स्थानांतरण के समय कार्यालय छोड़ने या कार्य करने में असर्मथ होने पर किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त करना होगा। अनुबंध की शर्तों के अनुसार मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त करेगा। ऐसा व्यक्ति जिस स्तर पर अपने पूर्ववर्ती द्वारा संदर्भ को छोड़ा गया था, उस स्तर से आगे बढ़ने का हकदार होगा, यह भी इस अनुबंध की एक शर्त है कि मुख्य अभियंता, एच. पी. पी. डब्ल्यू. डी. द्वारा नियुक्त

व्यक्ति के अलावा कोई भी व्यक्ति मध्यस्थ के रूप में कार्य नहीं करेगा और यदि किसी भी कारण से यह संभव नही है कि मामला Rs.50,000/– (पचास हजार रुपये) और उससे अधिक के विवाद में दावा नही किया जा सकता तो मध्यस्थ को पंचाट के लिए कारण बताना होगा।

जैसा कि ऊपर कहा गया है कि मध्यस्थता अधिनियम, 1940 के प्रावधान या किसी वैधानिक संशोधन या उसके पुर्ण अधिनियमन या उसके द्वारा बनाये गये अधिनियम और कुछ समय के लिए इस खंड़ के तहत मध्यस्थता कार्यवाही पर लागू होगें।"[रेखांकित करना जोड़ा गया]

10. खंड (65) के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि किसी व्यक्ति को पदनाम से नियुक्त करना अनुमत था और यह स्पष्ट खंड (65) से होगा, विशेष रूप से वाक्य *"जिस मध्यस्थ को मामला मूल रूप से संदर्भित किया गया है, उस स्थानांतरित किया जा रहा है या उस पद को खाली कर रहा है या किसी भी कारण से कार्य करने में असमर्थ होने पर मुख्य अभियंता को किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त करना पड़ता है "* यदि नियुक्तियाँ किसी नाम से की जानी है, पदनाम से नही तो मध्यस्थ द्वारा अपना पद छोड़ने पर आगे की नियुक्ति का कोई सवाल ही नही उठता है ऐसा केवल तभी होता है जब एक मध्यस्थ को पदनाम द्वारा नियुक्त किया जाता है, जिससे रिक्त पद पर पद रिक्त होने का प्रश्न उठ सकता है, जिससे मुख्य अभियंता मध्यस्थ के रुप में कार्य करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त करने में सक्षम हो सकता है। मध्यस्थता क्षेत्र के अधीक्षक अभियंता जिन्हें मध्यस्थ के रुप में नियुक्त किया गया है वह उसी मध्यस्थता मंडल एच.पी.पी.डब्लयू.डी के हैं और ऐसी नियुक्ति अनुबंध के खंड (65) के अनुसार ही है और हम अपीलाकर्ता द्वारा उठाई गई आपत्ति में कोई बल नहीं पाते हैं।

11. इसी तरह, अपीलाकर्ता के इस तर्क में कोई योग्यता नहीं है कि नियुक्त मध्यस्थ एच. पी. पी. डब्ल्यू. डी. की सेवा में एक कर्मचारी है, जिसे 1996 के अधिनियम (23.10.2015 से संधोधित) की धारा 12 (5) का प्रावधान वर्जित करते है। बहुत सारे निर्णयों के समूह में, सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्णित किया है कि सरकारी अनुबंधों में मध्यस्थता खंड यह प्रदान करते हैं कि विभाग का एक कर्मचारी एकमात्र मध्यस्थ होगा, न तो शून्य हैं और न ही अप्रवर्तनीय हैं। ***[इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और अन्य बनाम राजा ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड*** (2009) 8 एस. सी. सी. 520, ***ऐस पाइपलाइन कॉन्ट्रैक्ट्स (पी) लिमिटेड बनाम भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड*** (2007) 5 एस. सी. सी. 304, ***भारत संघ और एक अन्य बनाम एम. पी. गुप्ता*** (2004) 10 एस. सी. सी. 504] यह तथ्य कि एक नामित मध्यस्थ किसी एक पक्ष का कर्मचारी है, वास्तव में उसकी ओर से पक्षपात या स्वतंत्रता की कमी का अनुमान लगाने का आधार नहीं है। सरकारी अनुबंधों में मध्यस्थता

समझौते जो यह प्रावधान करते हैं कि विभाग का कोई कर्मचारी या कार्य या अनुबंध से असंबद्ध कोई उच्च अधिकारी मध्यस्थ होगा, न तो शून्य हैं और न ही अप्रवर्तनीय हैं।

12. यह देखते हुए कि मध्यस्थों की नियुक्ति से पहले सरकारी अनुबंधों में, नियुक्ति प्राधिकारी को मध्यस्थों का चयन करने में अधिक सतर्क और अधिक जिम्मेदार होना चाहिए जो इस स्थिति में हो जो कि बिना किसी अन्य कर्तव्यों को शामिल किए बिना कुशल तरीके से मध्यस्थता कार्यवाही करने में सक्षम हो।

भारत संघ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य पुल निगम लिमिटेड **(2015) 2 एस. सी. सी. 52**, के वाद में निम्नलिखित अभिनिर्णित किया गया कि–

"17. सरकारी निगमों/राज्य के स्वामित्व वाली कंपनियों के साथ निजी पार्टियाँ/ठेकेदारों के बीच अनुबंध के मामले में, समझौते की शर्तें आमतौर पर सरकारी कंपनी या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा तैयार की जाती हैं। सरकारी अनुबंधों में मोटे तौर पर दो प्रकार के मध्यस्थता खंड होते हैं, पहला जहां एक नामित अधिकारी को एकमात्र मध्यस्थ के रूप में कार्य करना होता है और दूसरा, जहां प्रबंध निदेशक जैसा कोई वरिष्ठ अधिकारी एकमात्र मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए एक नामित अधिकारी को नामित करता है। इसमें कोई संदेह नहीं है, ऐसे खंड जो सरकार को मध्यस्थ न्यायाधिकरण के गठन के लिए एक प्रमुख स्थान देते हैं, उन्हें वैध माना जाता है। साथ ही, यह ऐसे व्यक्तियों/अधिकारियों को मध्यस्थ के रूप में नियुक्त करने के लिए व्यक्ति पद पर एक कठिन और जिम्मेदार कर्तव्य भी डालता है जो न केवल स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से कार्य करने में सक्षम हैं, बल्कि मध्यस्थता के संचालन में पर्याप्त समय देने की स्थिति में हैं। यदि सरकार ने उन अधिकारियों को मध्यस्थ के रूप में नामित किया है जो मध्यस्थता कार्यवाही में समय नहीं दे पाते हैं या बार–बार स्थानांतरण आदि के कारण मध्यस्थ के रूप में कार्य करने में असमर्थ हो जाते हैं, तो कम से कम उन मामलों में "डिफ़ॉल्ट प्रक्रिया" का सिद्धांत जहां सरकार मध्यस्थों की नियुक्ति की भूमिका स्वयं ही ग्रहण कर ली है, इसे स्थानापन्न मध्यस्थों के मामले में भी लागू किया जाना चाहिए और न्यायालय उस प्रक्रिया को अलग रखते हुए मध्यस्थ नियुक्त करने के लिए कदम उठाएगा जिस पर दोनों पक्ष के बीच सहमति हुई है। हालाँकि, यह किसी विशेष मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा कि ऐसी कार्रवाई की जानी चाहिए या नहीं। हम इस बात पर जोर देते हैं कि न्यायालय इस संबंध में शक्तिहीन नहीं है।

जैसा कि पहले बताया गया है, मौजूदा मामले में, अधीक्षक अभियंता, मध्यस्थता मंडल, एच.पी.पी.डब्ल्यू.डी. को एकमात्र मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया गया था, जो अपने पदनाम के आधार पर, नियमित रूप से मध्यस्थता कार्यवाही के लिए समय समर्पित करते हुए मध्यस्थता करता है और अधीक्षक अभियंता की ऐसी नियुक्ति को समझौते के खंड (65) से विचलन नही कहा जा सकता है।

13. दोनों पक्ष के बीच समझौते की शर्तों के अनुसार मध्यस्थ की नियुक्ति के संबंध में किसी भी चुनौती को दोनों पक्ष के बीच समझौते के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। जैसा कि पहले बताया गया है , दोनों पक्ष ने पारस्परिक रूप से सहमति व्यक्त की है कि इंजीनियर–इन–चीफ द्वारा नियुक्त व्यक्ति एकमात्र मध्यस्थ होगा और अपीलकर्ता को ऐसी किसी भी नियुक्ति पर कोई आपत्ति नहीं होगी कि नियुक्त मध्यस्थ एक सरकारी कर्मचारी है। यदि अपीलकर्ता को कोई शिकायत है कि मध्यस्थ की नियुक्ति 'पद' द्वारा होती है न कि 'व्यक्ति' द्वारा, तो अपीलकर्ता को सबसे पहले मध्यस्थ के समक्ष चुनौती उठानी चाहिए थी। ज्ञात हो कि दिनांक 28.12.2013 को मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 11(6) के तहत उच्च न्यायालय के समक्ष दायर याचिका में , अपीलकर्ता ने केवल अधीक्षक अभियंता, मध्यस्थता मंडल, एच.पी.पी.डब्ल्यू.डी. सोलन की नियुक्ति को रद्द करने का अनुरोध किया है एवं एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त करने को असंवैधानिक बताते हुए दोनों पक्ष के बीच विवाद का निपटारा करने के लिए एक स्वतंत्र और निष्पक्ष एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति की मांग की। यह काफी अच्छी तरह से स्थापित है कि नियुक्त मध्यस्थ के लिए कोई भी चुनौती सबसे पहले उसी मध्यस्थ के समक्ष ही उठाई जानी चाहिए।

14. हम अपना ध्यान खंड (65) के शब्दों की ओर आकर्षित करते है , " कि यह समझौता किसी भी वैधानिक संशोधन या उसके पुन: अधिनियमन के अधीन है और उसके तहत बनाए गए नियम और कुछ समय के लिए इस खंड के तहत मध्यस्थता कार्यवाही पर लागू होंगे" वरिष्ठ विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि ये शब्द निश्चित रूप से 23.10.2015 से संशोधित अधिनियम की धारा 12(5) को आकर्षित करेंगे। इस संबंध में, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने ***रत्ना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम मेजा ऊर्जा निगम प्राइवेट लिमिटेड*** (2017) एससीसी ऑनलाइन डेल 7808 में दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा जताया। जिसमें एक अनुबंध में समान शब्दों की व्याख्या करते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय ने अभिनिर्णित किया कि वे शब्द धारा 26 (2015 के संशोधित अधिनियम) की आवश्यकता को पूरा करते हैं, जिसमें पक्षों के बीच एक समझौता है कि 23.10.2015 से संशोधित अधिनियम निम्नानुसार लागू होगा एवं निम्नलिखित अभिनिर्णित किया गया –

"22. ... . शब्द "किसी भी वैधानिक संशोधन या उसके पुन: अधिनियमन और उसके तहत बनाए गए नियम और कुछ समय के लिए लागू होने पर मध्यस्थता पर लागू होंगे ..." धारा 26 की आवश्यकता को संतुष्ट करता है कि पक्षों के बीच एक समझौता हो कि संशोधित अधिनियम जो 23 अक्टूबर 2015 से प्रभावी हुआ, वह लागू होगा। न्यायालय 'सहमत' और 'सहमत हुआ' के बीच बारीक अंतर निकालने के लिए तैयार नहीं है। जब खंड के संशोधन में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सभी वैधानिक संशोधन और पुन: अधिनियमन लागू होंगे, तो 23 अक्टूबर, 2015 के बाद उस संबंध में आगे कोई समझौते की आवश्यकता नहीं है। इस संबंध में प्रतिवादी की याचिका खारिज कर दी गई है।

23. कुल परिणाम यह है कि दिनांक 23 अक्टूबर 2015 से संशोधित धारा 12(5) लागू होगी। धारा 12(5) स्पष्ट रूप से किसी एक पक्ष के कर्मचारी को मध्यस्थ बनने से रोकती है। यह सीधे तौर पर श्री खेर को अयोग्य ठहरा देगा, जो प्रतिवादी के सेवारत जीएम हैं। इसलिए इसका कोई फायदा नहीं हुआ कि प्रतिवादी ने अपने पत्र दिनांक 21 अगस्त 2016 द्वारा श्री खेर को मध्यस्थ के रुप में मध्यस्थता वाद संख्या 1 वर्ष 2013 एंव 1 वर्ष 2014 में निर्णय लेने के लिए नियुक्त किया है। उनका अधिकार क्षेत्र समाप्त होता है।

15. वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हम अपीलकर्ता के इस तर्क की गुणों पर जाने के इच्छुक नहीं हैं और न ही *रत्ना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स मामले* में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए उपरोक्त दृष्टिकोण की सत्यता या अन्यथा की जांच करने के इच्छुक हैं; यह ध्यान देने योग्य है कि मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 की धारा 26 के अनुसार, संशोधित अधिनियम, 2015 के प्रावधान मूल अधिनियम की धारा 21 के प्रावधानों के अनुसार शुरू की गई मध्यस्थ कार्यवाही पर लागू नहीं होंगे जब तक कि दोनों पक्ष अन्यथा सहमत न हों। वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, अनुबंध की सामान्य शर्तों के खंड (65) में प्रावधान को संशोधित अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए पक्षों के बीच समझौता नहीं माना जा सकता है। अधिनियम की धारा 26 के अनुसार , संशोधन अधिनियम , 2015 के प्रावधान संशोधन अधिनियम, 2015 के प्रारंभ होने की तारीख (23.10.2015) से या उसके बाद शुरू की गई मध्यस्थ कार्यवाही के संबंध में लागू होंगे। वर्तमान मामले में, मध्यस्थता कार्यवाही संशोधित अधिनियम के लागू होने के बहुत पहले 2013 में शुरू हुई थी और इसलिए, संशोधित अधिनियम के प्रावधानों को लागू नहीं किया जा सकता है।

16. ***भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बनाम कोच्चि क्रिकेट प्राइवेट लिमिटेड और अन्य*** , (2018) 6 एससीसी 287 में, इस न्यायालय ने अभिनिर्णित किया है कि संशोधन अधिनियम , 2015 के प्रावधान जो

23.10.2015 से प्रभावी हुआ वह पहले से ही शुरू की गई मध्यस्थ कार्यवाही में पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं डाल सकते हैं जब तक कि पक्ष अन्यथा सहमत न हों। जो निम्नानुसार अभिनिर्णित किया गया: –

"37. जहां तक पहले भाग का सवाल है, जिस पर हमलोग देखते है कि – जो इस प्रकार है

"26. ***अधिनियम लंबित मध्यस्थ कार्यवाहियों पर लागू नहीं होगा।***—इस अधिनियम में निहित कोई भी बात, इस अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले, मूल अधिनियम की धारा 21 के प्रावधानों के अनुसार शुरू की गई मध्यस्थ कार्यवाहियों पर लागू नहीं होगी, जब तक कि पक्ष अन्यथा सहमत न हों... "

यह कि: (1) "मध्यस्थता कार्यवाही" और उनकी शुरुआत का उल्लेख मूल अधिनियम की धारा 21 के संदर्भ में किया गया है ; (2) प्रयुक्त अभिव्यक्ति "से" है न कि "के संबंध में"; और (3) दोनों पक्ष अन्यथा सहमत हो सकते हैं। जहां तक धारा 26 के दूसरे भाग का प्रश्न है, अर्थात्, वह भाग जिसमें लिखा है, "... लेकिन मूल अधिनियम के धारा 21 के प्रावधान में अभिव्यक्ति " के संबंध में" का प्रयोग किया गया है और अभिव्यक्ति " मध्यस्थ कार्यवाही और " का प्रयोग न होना ध्यान आकर्षित करता है।

17. एकमात्र मध्यस्थ (30.10.2013) के रूप में अधीक्षक अभियंता, मध्यस्थता मंडल की नियुक्ति के तुरंत बाद, अपीलकर्ता ने धारा 11(6) , 14 एवं 15 मध्यस्थता और सुलह अधिनियम , 1996 के तहत एकमात्र स्वतंत्र मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष मध्यस्थता याचिका संख्या 4049/2013 (28.12.2013) दायर की।

18. उच्च न्यायालय ने ***एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम देवास मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड*** (2014) 11 एससीसी 560 के फैसले पर भरोसा जताया और अभिनिर्णित किया कि जब अधीक्षक अभियंता, मध्यस्थता मंडल को समझौते (या मध्यस्थता खंड) के संदर्भ में मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया गया था, धारा 11 की उपधारा (6) के प्रावधानों को दोबारा लागू नहीं किया जा सकता है। उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि यदि दूसरा पक्ष समझौते के संदर्भ में मध्यस्थ की नियुक्ति से असंतुष्ट या व्यथित है, तो उसका उपचार धारा 13 के तहत याचिका के माध्यम से होगा और उसके बाद जब 1996 अधिनियम की धारा 34 के तहत पंचाट को चुनौती दी जाएगी ।

19. उच्च न्यायालय ने विचाराधीन फैसले में ***एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम देवास मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड*** (2014) 11 एससीसी 560 के फैसले पर भरोसा जताया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने निम्नानुसार अभिनिर्णित की थी: –

> "31. मामला उतना जटिल नहीं है जितना लगता है और हमारे विचार में, एक बार जब देवास द्वारा मध्यस्थता समझौते को लागू किया गया था और एक नामांकित मध्यस्थ भी नियुक्त किया गया था, तो याचिकाकर्ता द्वारा मध्यस्थता समझौते को दूसरी बार लागू नहीं किया जा सकता था। जिसे प्रतिवादी द्वारा की गई नियुक्ति की पूरी जानकारी थी। यदि एक बार मध्यस्थ की नियुक्ति हो जाने के बाद, मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए दूसरे पक्ष द्वारा शुरू की गई कार्यवाही पर भी सवाल उठाया जा सकता है, तो यह एक विसंगतिपूर्ण स्थिति को जन्म देगा। हमारे विचार में, जबकि याचिकाकर्ता निश्चित रूप से देवास के कहने पर मध्यस्थ की नियुक्ति को चुनौती देने का हकदार था, वह 1996 अधिनियम की धारा 11(6) के तहत स्वतंत्र कार्यवाही के माध्यम से ऐसा नहीं कर सकता था। जबकि 1996 अधिनियम की धारा 11(6) के तहत मध्यस्थ नियुक्त करने की शक्ति मुख्य न्यायाधीश में निहित है, ऐसी नियुक्ति पर धारा 13 के तहत सवाल उठाया जा सकता है । 1996 अधिनियम की धारा 11 के तहत कार्यवाही में , मुख्य न्यायाधीश मध्यस्थता समझौते के आधार पर पहले से नियुक्त मध्यस्थ को बदल नही सकते हैं।
>
> 33. अधिनियम 1996 की धारा 11 की उप–धारा (6), बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहती है कि जहां दोनों पक्ष सहमत प्रक्रिया के संदर्भ में कार्य करने में विफल रहती हैं तब उप –धारा (6) के प्रावधानों को दोनों पक्ष के किसी भी व्यक्ति द्वारा लागू किया जा सकता है। जहां समझौते के संदर्भ में, आईसीसी नियमों के तहत दोनों पक्ष में से एक के द्वारा मध्यस्थता खंड पहले ही लागू किया जा चुका है तब प्रावधान के उप धारा (6) को दोबारा लागू नहीं किया जा सकता है, और यदि दूसरा पक्ष समझौते के संदर्भ में मध्यस्थ की नियुक्ति से असंतुष्ट या व्यथित है, तो उसका उपचार धारा 13 के तहत एक याचिका के माध्यम से होगा और उसके बाद , 1996 अधिनियम की धारा 34 के तहत होगा"

वर्तमान मामले में, मध्यस्थ को समझौते के खंड (65) के अनुसार और कानून के प्रावधानों के अनुसार नियुक्त किया गया है। एक बार, सरकार के कहने पर मध्यस्थ की नियुक्ति हो जाने के बाद, मध्यस्थता समझौते को दूसरी बार लागू नहीं किया जा सकता था।

20. जैसा कि पहले बताया गया है, मध्यस्थ पहले ही दिनांक 11.11.2013 को मध्यस्थता कार्यवायी प्रारम्भ कर चुका है। मध्यस्थ की पहली सुनवाई 07.12.2013 को हुई थी; उस दिन अपीलकर्ता–ठेकेदार अनुपस्थित था। दिनांक 13.03.2014 की सुनवाई में मध्यस्थ ने यह निष्कर्ष दिया कि अपीलकर्ता –दावेदार–ठेकेदार ट्रिब्यूनल को बिना किसी सूचना के अनुपस्थित था। इस संबंध में, अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मनिंदर सिंह ने हमारा ध्यान दिनांक 12.03.2014 के पत्र की ओर आकर्षित किया जो स्थगन के अनुरोध के लिए अपीलकर्ता द्वारा भेजे गए थे। इसी प्रकार, मध्यस्थ के समक्ष सुनवाई की अगली तारीख 03.04.2014, 25.04.2014 और 06.08.2014 में अपीलकर्ता –ठेकेदार उपस्थित नहीं हुआ; लेकिन केवल स्थगन के अनुरोध पत्र भेजे। दिनांक 03.04.2014 को मामले को 25.04.2014 तक के लिए स्थगित किया गया एवं निर्देश दिया गया कि दोनों पक्षों को अगली तारीख दिनांक 25.04.2014 को सुनवाई के लिए तैयार होकर आना होगा। ऐसा ही आदेश दिनांक 25.04.2014 को पारित किया गया था कि दोनों पक्ष अगली तारीख दिनांक 06.08.2014 को सुनवाई के लिए तैयार होकर उपस्थित होगें। चूंकि अपीलकर्ता –दावेदार मध्यस्थ के समक्ष उपस्थित नहीं हुए, मध्यस्थ ने 1996 अधिनियम की धारा 25 (ए) के तहत 06.08.2014 को कार्यवाही समाप्त कर दी।

21. मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 25 उस स्थिति से संबंधित है जहां पक्ष पर्याप्त कारण बताए बिना चूक करते हैं और परिणामस्वरूप कार्यवाही समाप्त हो जाती है। धारा 25 तीन स्थितियाँ प्रदान करती है जहाँ किसी पक्ष की चूक के कारण, मध्यस्थ न्यायाधिकरण कार्यवाही समाप्त कर देगा जो निम्नानुसार हैं: –

(i) धारा 25(ए) के तहत जहां दावेदार धारा 23 की उपधारा (1) के अनुसार अपने दावे का बयान देने में विफल रहता है ;

(ii) धारा 25(बी) के तहत धारा 23 की उपधारा (1) के अनुसार अपने बचाव के दावे को संप्रेषित करने में प्रतिवादी की विफलता पर कार्यवाही जारी रखें ;

(iii) धारा 25(सी) के तहत कार्यवाही जारी रखें एवं उसके समक्ष उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर मध्यस्थ पंचाट पारित करें यदि कोई पक्ष द्वारा मौखिक सुनवाई में या दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहती है।

धारा 25(ए) में प्रावधान है कि मध्यस्थता न्यायाधिकरण उस कार्यवाही को समाप्त कर देगा जहां दावेदार अधिनियम की धारा 23 की उप–धारा (1) के अनुसार अपने दावे को संप्रेषित करने में विफल रहे।

वर्तमान मामले में, अपीलकर्ता अपना दावा विवरण दाखिल करने में विफल रहा है; और मध्यस्थ को केवल इस आधार पर स्थगन की मांग करते हुए पत्र भेजा कि अपीलकर्ता ने अधिनियम की धारा 11(6) के तहत याचिका दायर करके उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। जब दोनों पक्ष एच.पी.पी.डब्ल्यू.डी. के इंजीनियर–इन–चीफ/चीफ इंजीनियर द्वारा नियुक्त व्यक्ति के एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए विशेष रूप से सहमत हो गए थे तो अपीलकर्ता द्वारा एक स्वतंत्र मध्यस्थ की नियुक्ति की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना सही नहीं था।

22. समय के विस्तार के बावजूद, चूंकि अपीलकर्ता–ठेकेदार ने दावे का विवरण दाखिल नहीं किया था, मध्यस्थ ने दिनांक 06.08.2014 की कार्यवाही द्वारा 1996 अधिनियम की धारा 25 (ए) के तहत कार्यवाही समाप्त कर दी। अपीलकर्ता–ठेकेदार ने मध्यस्थ के समक्ष अपना दावा बयान दाखिल नहीं किया क्योंकि अपीलकर्ता ने 1996 अधिनियम की धारा 11(6) के तहत याचिका दायर करके उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था , शायद इस सलाह के तहत कि अपीलकर्ता एक स्वतंत्र मध्यस्थ नियुक्त करवा सकता है। अपीलकर्ता सुनवाई से पहले स्थगन की मांग करते हुए मध्यस्थ को पत्र लिख रहा था । हालाँकि, चौथे अवसर पर कार्यवाही समाप्त कर दी गई क्योंकि पहले के अवसरों पर कोई सुनवाई नहीं हुई थी, उन्हें उम्मीद थी कि उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया जाएगा। मध्यस्थ अपीलकर्ता को चेतावनी देते हुए एक नोटिस जारी कर सकता था कि किसी भी परिस्थिति में कोई स्थगन नहीं दिया जाएगा। चूँकि, ऐसी कोई चेतावनी नहीं दी गई थी, इसलिए हम समाप्ति के आदेश को रद्द करना उचित समझते हैं। अपीलकर्ता ने देरी के कारण दावा किया था जैसा कि उनके पत्र दिनांक 18.10.2013 में विभिन्न शीर्षकों के तहत दर्शाया गया है। न्याय के हित में, हमारे विचार में, अपीलकर्ता को विभागीय मध्यस्थ के समक्ष जाने का अवसर दिया जाना चाहिए (जैसा कि अनुबंध की सामान्य शर्तों के खंड (65) में पक्षों के द्वारा सहमति व्यक्त की गई है) और मध्यस्थ की कार्यवाही दिनांक 06.08.2014 को कार्यवाही समाप्त करते हुए निरस्त किया जाए। हम जानते हैं कि संशोधन अधिनियम, 2015 के बाद कोई विभागीय मध्यस्थ नहीं हो सकता। जैसा कि पहले चर्चा की गई है, इस मामले में, पक्षों के बीच समझौता दिनांक 19.12.2006 है और पक्षों के बीच संबंध दिनांक 19.12.2006 के अनुबंध की सामान्य शर्तों द्वारा शासित होते हैं इसलिए संशोधन अधिनियम, 2015 के प्रावधानों को लागू नहीं किया जा सकता है ।

23. परिणामस्वरूप, अपीलों का निस्तारण निम्नलिखित निर्देशों के साथ किया जाता है:–

(i) मध्यस्थ की कार्यवाही को समाप्त करने वाली मध्यस्थ कार्यवाही दिनांक 06.08.2014 को रद्द किया जाता है। अनुबंध की सामान्य शर्तों के खंड (65) के संदर्भ में, मुख्य अभियंता, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग को अनुबंध के खंड (65) के संदर्भ में एक मध्यस्थ नियुक्त करने का निर्देश दिया जाता है।

(ii) अपीलकर्ता नामित मध्यस्थ के समक्ष अपना दावा दायर करेगा और मध्यस्थ दोनों पक्षों को पर्याप्त अवसर देगा और कानून के अनुसार मामले को आगे बढ़ाएगा।

हम यह स्पष्ट करते हैं कि हमने अपीलकर्ता के दावे के गुण–दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है।

अपील निस्तारित किया गया

Translated and vetted by

Rakesh Raushan

Civil Judge (Senior Division)–VIII

Cum Judicial Magistrate

Civil Court, Dhanbad

J.O. Code– JH0645